झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)
Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325
Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,
P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand
Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

पत्रांकः— झा०भ०नि० 50/17- 696 (नि) राँची/दिनांकः— 16/3/22

प्रेषक,

कार्यपालक निदेशक,
झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
राँची।

सेवा में,

M/s Sildiliya Construction,
Station Road, Redma, Ward No.- 15,
Daltonganj, Palamu.

विषयः— डिबार (Debar) किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः— पी0आई0यू0, पलामू का पत्रांक— 90 दिनांक— 07.0.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है किः—

1. Construction of 01 Unit Jharkhand Balika Awasiye Vidyalaya, Tarhassi in Palamu के निर्माण कार्य को एकरारनामें के अनुसार कार्य दिनांक— 14.06.2018 को पूर्ण किया जाना था। परंतु अभी तक यह निर्माण कार्य मात्र 78% ही किया गया है। प्रबंधक—सह—कार्यपालक अभियंता, पी0आई0यू0, पलामू के द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया जाता रहा है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पलामू के पत्रांक— 96 दिनांक— 14.03.2022 के द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के लिए आपको डिबार करने की अनुशंसा की गयी है।

o/c

2. Standard Bidding Document के Condition of Contract की कंड़िका— 27.3 के अनुसार "The Contrctor shall submit to the Engineer, for approval, an updated programme at intervals no longer than the period stated in the Contract data." परंतु आपके द्वारा आपको आवंटित कार्य के कार्यान्वयन के दौरान कभी भी कोई प्रोग्राम समर्पित नहीं किया गया है।

3. Standard Bidding Document के Instruction to Bidder के कंड़िका— 4.8 के अनुसार "Record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failures etc.; and could not furnish rational justification to the employer." आपके द्वारा आपको आवंटित कार्य के कार्यान्वयन के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के महीनों तक निर्माण कार्य बन्द रखा गया।

PTO

16/3/22

4. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड के संवेदक निबंधन नियमावली की कंड़िका– 11.1.4 के अनुसार बिना ठोस कारण के निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण करने पर संवेदक को निलंबित किया जा सकेगा।

वर्णित तथ्यों के आलोक में आपके आवंटित ऊपर वर्णित निर्माण कार्य को पूर्ण करने में आपके द्वारा दिए गए विलम्ब के कारण Standard Bidding Document के Instruction to Bidder के कंड़िका– 4.8 तथा संवेदक निबंधन नियमावली की कंड़िका– 11.1.4 के अन्तर्गत आपको भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से कार्य पूर्ण होने तक वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन,

16/3/22

कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची

ज्ञापांकः– 696 (नि1) राँची/दिनांकः– 16/3/22

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक/ नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट सेल/ सभी प्रबंधक, झा0रा0भ0नि0 नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची

ज्ञापांकः– 696 (नि1) राँची/दिनांकः– 16/3/22

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची

ज्ञापांकः– 696 (नि1) राँची/दिनांकः– 16/3/22

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक के वरीय प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची